राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 149

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 7 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

'महा' खतरे के बीच जवाबी हमले को तैयार भारत

>> 14

गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से चार दिन में पांच बड़े फैसलों की उम्मीद

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद, सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश, राफेल लड़ाकू विमान सौदा, देश के प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना और भारत के प्रधान न्यायाधीश के दफ्तर में सूचना का अधिकार लागू होने का मुद्दा पांच ऐसे ज्वलंत मामले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। ये पांचों ऐसे मामले हैं जिनका बड़ा प्रभाव दिख सकता है। इन मामलों की सुनवाई भारत के प्रधान न्यायाधीश(सीजेआइ) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की है। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे मे छुट्टियां निकाल दी जाए तो गोगोई के पास इन मामलों में फैसला सुनाने के लिए मात्र चार कार्य दिवस बचे हैं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को हो रहे हैं सेवानिवृत्त

वैसे तो जस्टिस गोगोई के सेवानिवृत्त होने में अभी कुल 11 दिन बाकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सूची के मुताबिक गुरुवार को इनमें से किसी भी मामले में फैसला नहीं आ रहा है ऐसे में इन मुकदमों के फैसले के लिए मात्र चार कार्य दिवस बचे हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश कार्य दिवस पर ही मुकदमों की सुनवाई करें या फैसला सुनाएं लेकिन सामान्य तौर पर कोर्ट कार्य दिवस पर ही फैसले सुनाता है।

अयोध्या मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक के मुकदमें में सुनवाई पूरी करके गत 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 40 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

सीजेआइ के आफिस में आरटीआइ

दूसरा अहम फैसला इस मुद्दे पर आना है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का दफ्तर सूचना कानून के दायरे में आएगा या नहीं। इस मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि वह किसी भी व्यवस्था को अपारदर्शी बनाए रखने का पक्षधर नहीं है लेकिन एक संतुलन कायम करने और रेखा खींचने की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सीजेआइ आफिस को आरटीआइ के दायरे में घोषित करने और सूचना देने के दिल्ली हाईकोर्ट और सीआइसी के फैसलों को चुनौती दे रखी है। हाईकोर्ट और सीआइसी ने कहा था कि सीजेआइ का दफ्तर पब्लिक अथारिटी माना जाएगा और आरटीआइ उस पर लागू होगा।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश

कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 को केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को लिंग आधारित भेदभाव बताते हुए रद कर दिया था। महिलाओं पर यह पाबंदी उनके मासिक धर्म के कारण थी। फैसला 4–1 के बहुमत से था। जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने बहुमत से असहमति जताई थी। इस फैसले का अयप्पा अनुयायी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर के भगवान अयप्पा ब्रम्हचारी हैं और इस आयु की महिलाओं के प्रवेश से मंदिर की प्रकृति बदल जाएगी। फैसले के खिलाफ 55 पुनर्विचार सहित कुल 65 याचिकाएं कोर्ट में हैं।

राहुल को माफी पर आना है फैसला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' बयान पर उनके खिलाफ लंबित अवमानना मामले में उन्हें माफी दिये जाने पर फैसला आना है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी को माफी न देने की अपील करते हुए कोर्ट से कहा था कि माफी काफी नहीं है, राहुल को सजा मिलनी चाहिए। दो बार खेद जताने के बाद बिना शर्त माफी मांग चुके राहुल ने कोर्ट से माफी स्वीकार कर अवमानना का केस बंद किये जाने की गुहार लगाई थी।

राफेल सौदे के फैसले पर पुनर्विचार

चुनाव के वक्त बड़ा मुद्दा बने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर फैसला आना है। कोर्ट ने 36 राफेल विमानों की खरीद के सौदे की निगरानी में जांच कराने की मांग खारिज कर दी थी, जिसे भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल एंड फाइनेंस एक्ट को चुनौती देने के मामले में भी फैसला आना है।

मोदी की मंत्रियों को नसीहत, अयोध्या पर बयानबाजी से बचें

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या राम जन्मभूमि मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से इस मुद्दे पर बेवजह बयानबाजी से बचने और देश में सौहार्द बनाये रखने की अपील की है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में फैसले की उम्मीद है और इसलिए देश में सौहार्द बनाए रखने और इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की हर किसी की जिम्मेदारी है।

सरोकार

घूंघट से निकल लिख दी 'बिग मिलियन सेल' की पटकथा

अलीगढ़ : स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) में पहली बार देश में एक दिन में 12.50 लाख की बिक्री का रिकॉर्ड बना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का टप्पल ब्लॉक सुर्खियों में है। सरकार ने तीन नवंबर को एसवीईपी का पहला 'बिग मिलियन डे' यहां मनाया। (पेज–10)

जागरण विशेष

कीटाहार को पोषाहार बनाने पर वैज्ञानिक कर रहे काम

अल्मोड़ा : भविष्य में खाद्य संकट की चुनौती से निपटने को कीटाहार के विकल्प की संभावना तलाशने और कीटों का वजूद बचाने की दिशा में भारत में अपने तरह का पहला प्रयास शुरू किया गया है। उत्तर–पूर्व के राज्यों में खाने योग्य कीटों पर शोध शुरू कर दिया गया है। (पेज–10)

न्यूज गैलरी

राज–नीति ▸ पृष्ठ 4

महाराष्ट्र में सभी सियासी दल अपने–अपने रुख पर कायम

मुंबई : राकांपा अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तैयार है। शिवसेना नई शर्तें भाजपा पर लादती जा रही है, लेकिन नई सरकार कब व किसकी बनेगी, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

राम रहीम की राजदार हनीप्रीत आई सलाखों के बाहर

पंचकूला : राजद्रोह की धाराओं को कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत की कथित दत्तक पुत्री हनीप्रीत की जमानत याचिका जिला जज ने बुधवार को स्वीकार कर ली। हनीप्रीत को एक लाख रुपये के मुचलके पर छोड़ा गया है। शाम को वह जेल से बाहर भी आ गई।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

जेपी इन्फ्रा के लिए बोली नहीं लगा सकेगा जेपी ग्रुप

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की बोली में शामिल होने की जेपी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को अदालत ने 90 दिन में प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि सिर्फ एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी से ही संशोधित रिजॉल्यूशन प्लान स्वीकार किए जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

आइएस–खुरासान ने भारत पर की थी हमले की कोशिश

वाशिंगटन : आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के खुरासान ग्रुप ने पिछले साल भारत में आत्मघाती हमला किया था। हालांकि यह विफल रहा था। अमेरिकी सांसदों को यह जानकारी एक आतंकवाद रोधी अमेरिकी अफसर ने दी है।

दांव पर साख
दूसरा टी–20 | स्थान : राजकोट
भारत vs बांग्लादेश
शाम 7:00 बजे से
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

अब अफसरों को दंडित करने का वक्त

सख्त रुख ▸ सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में दिल्ली, पंजाब व हरियाणा के मुख्य सचिवों को लगाई फटकार

शीर्ष अदालत ने कहा, शर्म आनी चाहिए, आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा करोड़ों लोगों के जीने-मरने का सवाल है। शर्म आनी चाहिए... लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रदूषण की स्थिति पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को फटकारते हुए कहा, अफसरों को अब दंडित करने का वक्त आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने पराली जलने के मामले नहीं थमने पर अफसरों को फटकारने के साथ ही किसानों के लिए राहत के भी निर्देश दिए। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उप्र से अपने ऐसे सभी लघु व सीमांत किसानों को सात दिन के भीतर प्रति क्विंटल सौ रुपये देने के निर्देश दिए, जिन्होंने पराली नहीं जलाई है। पीठ ने कहा, पराली जलाने पर सजा देना पर्याप्त नहीं है। किसानों को मदद और विकल्प देने की जरूरत है। सरकारें पराली की समस्या से निपटने के लिए मशीनें किराए पर लेकर किसानों को मुहैया कराएं। दिल्ली और तीनों राज्यों को तीन माह के भीतर प्रदूषण से निपटने के लिए समग्र योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया था।

जिन किसानों ने पराली नहीं जलाई है, उन्हें प्रति क्विंटल सौ रुपये देने का दिया निर्देश

कुछ कर नहीं सकते तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं

सरकारों के शिथिल रवैये पर कोर्ट ने कहा, 'आप इसके लिए तैयार क्यों नहीं थे? आपने इसे रोकने के लिए क्या किया? अगर राज्य सरकारें कुछ कर नहीं सकती हैं, तो फिर उन्हें जाने दो। अगर आपको लोगों की चिंता नहीं है, तो सत्ता में बने रहने का अधिकार भी नहीं है।' प्रदूषण के कारण लोगों को कैंसर, अस्थमा और कई बीमारियां हो रही हैं। राज्य सरकारें कल्याणकारी सरकार का सिद्धांत भूल गई हैं। दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें लाचार लोगों की परवाह नहीं है। कोर्ट ने कहा, 'आप बस इमारतों में बैठकर शासन करना चाहते हैं। क्या आप प्रदूषण के कारण लोगों को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या आप देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं?'

सात दिन में नहीं सुधरे हालात, तो आपके टॉप बास को बुला लेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव से कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के लिहाज के 13 हॉट स्पॉट चुने गए हैं। सात दिन में यदि इनके प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई, तो आपके टॉप बॉस को बुला लेंगे। कोर्ट के इस रुख से अधिकारियों में सन्नाटा छा गया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तीन महीने के भीतर सड़कों के सारे गड्ढे भरने के निर्देश भी दिए। अदालत ने मुख्य सचिव से कहा, 'आप सड़क की धूल, तोड़–फोड़ और कचरे से निपट नहीं सकते, तो कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? दिल्ली की कॉलोनियों में गए हैं? वहां रोड तक नहीं है।' दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा, 'राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए विश्व बैंक से मिलने वाले अनुदान का सरकार करती क्या है? इतना पैसा आता है, आखिरी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट कहां है?' राज्य के मुख्य सचिव ने कोर्ट को भरोसा दिया कि सात दिन में प्रदूषण कम करेंगे।

पंजाब के मुख्य सचिव से कहा–अभी यहीं निलंबित कर देंगे

कोर्ट ने निर्देश के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुकने के बारे में सवाल किया तो पंजाब के मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए कोई मैजिक नहीं है। वह किसानों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें मशीनें दे रहे हैं। इस जवाब पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा, 'राजनीतिक भाषण मत दीजिए। आप राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। यह आपकी विफलता है कि आप अपनी मशीनरी को संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी तुरंत यहीं पर निलंबित कर देंगे।'

केंद्र के तर्कों से कोर्ट असहमत

कोर्ट ने अटार्नी जनरल वेणुगोपाल के तर्कों से भी असहमति जताई और कहा, लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार कैसे कह सकती है कि कुछ नहीं किया जा सकता है। पराली को जलाना ही एक मात्र समाधान क्यों है? वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा था कि किसान पराली जलाने से रोकने के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। कोर्ट ने कहा, किसी देश में पराली जलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप चाहते हैं कि किसानों को दंडित किया जाए।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी सख्त चेतावनी

कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी सख्त चेतावनी दी और कहा कि पराली बिल्कुल भी नहीं जलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि उनके यहां पंजाब और हरियाणा के मुकाबले सिर्फ एक फीसद ही पराली जलती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह की तुलना नहीं कर सकते हैं। वहीं हरियाणा को भी सख्ती से इस प्रथा को बंद करने के निर्देश दिए।

तीस हजारी मामले में हाई कोर्ट अपने आदेश पर कायम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का आवेदन ठुकराया
- दो नवंबर को हुई घटना की जांच तक वकीलों पर नहीं होगी कार्रवाई

दिल्ली की तीस हजारी अदालत में पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में हाई कोर्ट अपने फैसले पर कायम है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने कहा, 3 नवंबर का आदेश स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसमें साफ कहा गया था कि 2 नवंबर को हुई घटना के संबंध में दर्ज एफआइआर के आधार पर वकीलों के खिलाफ जांच पूरी होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर आचार्य ने मंगलवार को अर्जी दायर कर 3 नवंबर के आदेश को स्पष्ट करने की मांग की थी ताकि 4 नवंबर को साकेत कोर्ट के बाहर पुलिसकर्मी और एक नागरिक की पिटाई के मामले में आरोपित वकील पर कार्रवाई की जा सके। दूसरा आवेदन बुधवार को दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया, जिसमें विशेष आयुक्त (कानून-व्यवस्था, उत्तरी) संजय सिंह और अतिरिक्त उपायुक्त (उत्तरी) हरेंद्र कुमार सिंह के तबादले के फैसले समेत अन्य निर्देशों में संशोधन की मांग की गई। पीठ ने कहा, लाठीचार्ज व फायरिंग का आदेश देने के आरोप में वरिष्ठ अफसरों के तबादले के संबंध में दिया गया आदेश प्राथमिक है। हालांकि, दोनों तथ्यों को घटना के सुबूतों के आधार पर जांच में साबित करना होगा और यह न्यायिक जांच का हिस्सा है।

वहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा, किसी एक व्यक्ति ने पुलिस का थप्पड़ मारा और हमें यह भी नहीं पता कि वह वकील था भी या नहीं। वकीलों पर गोली चलाने वाले पीड़ित बनकर प्रदर्शन व अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस को यह हक नहीं दिया जाना चाहिए वह किसी वकील पर केस कर सके।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर ने कहा, जिस तरह से पुलिस ने फैसले में बदलाव के लिए आवेदन दिया है उससे उसकी मंशा जाहिर होती है। जब साकेत कोर्ट के बाहर हुई घटना के मामले में पहले ही एफआइआर दर्ज कर ली गई है तो फिर इस आवेदन का क्या मतलब है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष केसी मित्तल ने कहा कि मंगलवार को प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों के मामले का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए।

मीडिया कवरेज पर रोक से इन्कार : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सुनवाई के दौरान मीडिया कवरेज पर रोक की मांग करते हुए कहा, वकीलों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी छवि खराब हो रही है। कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

यह था मामला : 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट परिसर में पार्किंग विवाद के बाद पुलिस और वकीलों में हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान पुलिस की ओर से चलाई गई गोली लगने से अधिवक्ता घायल हो गया था। स्वतः संज्ञान लेते हुए रविवार को मुख्य पीठ ने जस्टिस एसपी गर्ग के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश दिया था। (पेज–2 भी देखें)

चार्जशीट कोर्ट में दाखिल, चिन्मयानंद पर दुष्कर्म के आरोप सही

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

- ब्लैकमेलिंग में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के भाई, भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री, छात्रा व उसके तीन दोस्तों का नाम

स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म के आरोप को सही बताते हुए विशेष जांच दल (एसआइटी) ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में दाखिल दूसरी चार्जशीट में चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के आरोप में छह नाम शामिल किए गए हैं। जिनमें डीसीबी चेयरमैन डीपीएस राठौर, भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री अजीत सिंह, छात्रा, संजय सिंह, विक्रम व सचिन सेंगर शामिल हैं। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डीपीएस राठौर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर के भाई हैं। दोनों ही चार्जशीट को लेकर कोर्ट में चिन्मयांनद, छात्रा, संजय, विक्रम व सचिन को पेश किया गया। बाकी दोनों आरोपितों को समन के जरिये तलब किया जाएगा।

एसआइटी ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म व उनसे ब्लैकमेलिंग प्रकरण के दो अलग मुकदमों की जांच शुरू की थी। दो माह जांच के बाद दो चार्जशीट तैयार की। बुधवार सुबह साढ़े दस बजे एसआइटी के विवेचक दलवीर सिंह टीम के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर के कोर्ट में पहुंचे और 4700 पेज की केस डायरी व चार्जशीट सौंपी। करीब 11 बजे जेल से पूर्व मंत्री चिन्मयानंद को कोर्ट लाया गया, जहां आरोप बताते हुए चिन्मयानंद से चार्जशीट पर हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद ब्लैकमेलिंग के सभी आरोपितों को पेश किया गया।

डीपी और अजीत को जाएगा समन पेज>>5

अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बनेगा 25 हजार करोड़ का फंड

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने देशभर में 1600 के करीब अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए 25 हजार करोड़ के वैकल्पिक निवेश फंड की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका मकसद परियोजना प्रमोटरों को कर्ज के जरिये राहत देना है ताकि वे मध्यम वर्ग के हजारों लोगों के अधूरे मकानों को जल्द से जल्द उनके सुपुर्द कर सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस वैकल्पिक निवेश कोष (एआइएफ) में सरकार 10 हजार करोड़ रुपये का योगदान करेगी। बाकी का योगदान एसबीआइ और एलआइसी की तरफ से होगा। जब इस कोष में सरकार और पेंशन फंडों की भागीदारी बढ़ेगी तब कोष का आकार बढ़ेगा। सेबी में पंजीकृत फंड के प्रबंधन की जिम्मेदारी एसबीआइ कैप को सौंपी गई है।

रियल एस्टेट को बड़ी राहत

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिया फैसला
- 1600 परियोजनाओं के 4.58 लाख मकानों के जल्द निर्माण का रास्ता साफ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को कैबिनेट के फैसले की जानकारी देती हुईं। एएनआइ

सीतारमण के अनुसार इस कोष के जरिये देशभर में अटकी 1,600 आवासीय परियोजनाओं में 4.58 लाख मकानों को पूरा करने के लिए प्रमोटरों को कर्ज दिया जाएगा।

इस कदम से देश में रोजगार सृजन की स्थिति सुधरने के साथ-साथ सीमेंट, लोहा, स्टील उद्योग में मांग बढ़ने की आशा है। इस कोष का इस्तेमाल उन परियोजनाओं में भी किया जा सकेगा जिन्हें नॉन-परफार्मिंग असेट्स या एनपीए घोषित किया जा चुका है अथवा जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं।

इस कोष का इस्तेमाल रेरा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। पेशेवर प्रबंधक परियोजनाओं की पहचान कर उनके लिए निवेश की आवश्यकता तय कर करेंगे। कैबिनेट ने कोष के जिस नए ढांचे को मंजूरी दी है उसमें पहले की दो शर्तों को हटा दिया गया है। इसके लिए अलग-अलग आरबीआइ और बैंकों के अलावा बिल्डरों से भी व्यापक चर्चा की गई। हमने सुनिश्चित किया है कि इसका लाभ सभी वास्तविक अटकी परियोजनाओं को मिले। लेकिन दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे बहुत बिगड़े मामलों का समाधान एनसीएलटी के जरिये ही होगा।

इससे पहले सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए कई कदम उठा चुकी है। इनके तहत 31 मार्च, 2020 तक 45 लाख रुपये तक के मकान के होम लोन पर डेढ़ लाख रुपये तक के ब्याज डिडक्शन की सुविधा दी गई है। इसके अलावा बैंकों द्वारा रेपो रेट व एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड उत्पाद लांच किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय परियोजनाओं के लिए 1.42 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता मंजूर की जा चुकी है। नेशनल हाउसिंग बैंक 30 हजार करोड़ रुपये की नकदी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को उपलब्ध करा चुका है। जबकि वित्तीय रूप से सक्षम एनबीएफसी की एक लाख करोड़ की परिसंपत्तियों के लिए सरकारी बैंकों को नुकसान की भरपाई के लिए छह माह के लिए एकमुश्त आंशिक कर्ज गारंटी की एक स्कीम भी लांच की गई है। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को भी कम कर दिया गया है।

करतारपुर पर पाक के वीडियो में भिंडरांवाले समेत तीन आतंकी

नापाक मंशा

भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, वीडियो से आतंकियों की तस्वीरें हटाने को कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पाकिस्तान का गुप्त एजेंडा आया सामने

नई दिल्ली, एजेंसियां : करतारपुर कॉरिडोर खोलने के पीछे पाकिस्तान की असल मंशा धीरे-धीरे सामने आने लगी है। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से एक गाना जारी किया है। गाने के इस वीडियो में आतंकी जनरैल सिंह भिंडरांवाले समेत तीन खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और पाकिस्तान से तत्काल इस वीडियो से आतंकियों की तस्वीरें हटाने को कहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वीडियो से कॉरिडोर खोलने के पीछे पाकिस्तान का गुप्त एजेंडा सामने आ गया है।

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी वीडियो में भिंडरांवाले के अलावा मेजर जनरल शाहबेग सिंह और अमरीक सिंह खालसा के पोस्टर भी हैं। ये तीनों आतंकी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में जून, 1984 में हुए ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए थे। भिंडरांवाले आतंकी संगठन दमदमी टकसाल का मुखिया था। शाहबेग सिंह भ्रष्टाचार के मामले में कोर्टमार्शल के बाद खालिस्तानी आतंकी अभियान में शामिल हो गया था। अमरीक सिंह खालसा आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन का नेता था।

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल फोटो

चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि इस कॉरिडोर को खोलने के पीछे पाकिस्तान का गुप्त एजेंडा है। उन्होंने पहले भी आशंका जताई थी कि पाकिस्तान इसके जरिए पंजाब में सिख आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी इस तरह की आशंकाएं जताई हैं।

पाकिस्तान की तरफ से जारी एक अन्य वीडियो में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी भिंडरांवाले के बैनर के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में अमेरिका के एक अनाम खालिस्तानी ग्रुप 'सिख फॉर जस्टिस' का पोस्टर भी नजर आ रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ की सह पर यह ग्रुप कथित रूप से अलगाववादी मूवमेंट 'रेफरेंडम 2020' को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला को कॉरिडोर के लिए गठित बोर्ड में रखा था। भारत के विरोध के बाद उसे हटाया।

पासपोर्ट पर पाक से भारत ने मांगा जवाब

भारत ने पाकिस्तान से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि करतारपुर जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होगी या नहीं। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दो दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक श्रद्धालुओं को पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा।

इस बीच, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का काम देखने वाले इवेकू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं के किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने पर सख्त पाबंदी है। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

कॉरिडोर के रास्ते पहले जत्थे को मंजूरी की जरूरत नहीं : करतारपुर कॉरिडोर के नौ नवंबर को उद्घाटन के बाद भारत से 550 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा। सूत्रों ने बताया कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान जाने वाले इस जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं के लिए राजनीतिक मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं। इमरान खान के निमंत्रण पर वाघा बार्डर के रास्ते पाकिस्तान जा रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मंजूरी लेनी पड़ेगी। उन्होंने सरकार से मंजूरी मांगी भी है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने पाकिस्तान से पहले जत्थे के लिए सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम करने को कहा है। (पेज–6, 7 देखें)

घोटाले में घिरे आइएएस अफसरों पर हाथ डालने से बच रही सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- पीएफ घोटाले में आइएएस संजय अग्रवाल पर कार्रवाई न होने से उठ रहे सवाल
- खनन घोटाले में आइएएस अभय और डीएस उपाध्याय सिर्फ पद से हटाए गए

भविष्य निधि (पीएफ) घोटाले में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजय अग्रवाल का नाम आने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर एक ही मामले में तीन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन अग्रवाल के नाम पर चुप्पी क्यों है। दरअसल, सरकार वित्तीय घोटालों और भ्रष्टाचार में दूसरे संवर्ग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन आइएएस अधिकरियों पर हाथ डालने से बच रही है।

खनन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की छापेमारी में आइएएस अफसर अभय और डीएस उपाध्याय के घर से जांच एजेंसी ने बड़ी रकम बरामद की थी। इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। छापेमारी के समय अभय बुलंदशहर के जिलाधिकारी (डीएम) और उपाध्याय आजमगढ़ के सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) थे। इन अफसरों को सरकार ने कोई तैनाती भले ही नहीं दी, लेकिन इन पर कार्रवाई न होने से हैरत हो रही है। अभय ने यह दावा भी कर दिया कि उनके घर से बरामद एक-एक पैसे का उनके पास हिसाब है।

केंद्र में तैनात आइएएस अफसर जीवेश नंदन और प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे संतोष कुमार राय, विवेक और पवन कुमार को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया, लेकिन इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। राज्य के दूसरे संवर्ग के अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते भी हैं कि एक ही तरह की शिकायत और जांच में आइएएस अधिकारियों को सरकार से रियायत मिल जाती है लेकिन बाकी संवर्ग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। सरकार का यह दोहरा रवैया समझ से परे है।